Pakistan and if so, the extent of the interim relief sanctioned and given ; and

(c) the details of the measures taken or proposed to be taken to rehabilitate them ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मध्य प्रदेश के देवास जिले के कंटाफोड़ ग्राम में टेलीफोन एक्सचेंज

143. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवास जिले (मध्य प्रदेश) के कंटाफोड़ ग्राम मे, उस क्षेत्र के लोगो को टेलीफोन सुविधा देने के उद्देश्य से, कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हा तो कब ; और

(ग) क्या सरकार कंटाफोड़ ग्राम में टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम चालू वित्तीय वर्ष 1970-71 में पूरा कर देगी ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क). जी हाँ ।

(ख) 1969 के वर्ष के शुरू में । इस योजना की मंजूरी सितम्बर, 1970 में दी गई है ।

(ग) हो सकता है कि 1970-71 के वर्ष के दौरान कंटाफोड़ टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का कार्य पूरा न हो सके । सामान की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि ए० सी० एस० आर० तार और विद्युत संयंत्र की सप्लाई कम है ।

अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन का माँग पत्र

144. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन (आल इन्डिया एम्प्लाइज प्राविडेण्ट फण्ड स्टाफ फेडरेशन) ने सरकार को नौ-सूची माँग पत्र दिया है ;

(ख) यदि हा तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी अधिकारियों तथा फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच समझौता कराने के लिए गत 5 फरवरी को राँची में वार्ता हुई थी ;

(घ) यदि हा, तो उसके क्या परिणाम निकले है ; और

(ङ) उनकी मागो को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है तथा उनकी मागो के कब तक मान लिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित न्यासियो के केन्द्रीय बोर्ड से सम्बन्ध रखता है और भारत सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नही है । भविष्य निधि प्राधिकारियो ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ ने न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए नौ मांग प्रस्तुत की है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी नही ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ.) न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने 5 फरवरी 1971 को रांची में हुई अपनी 49वीं बैठक में संघ द्वारा भेजी गई मांगो पर विचार किया और इन मांगो की जांच करने व केन्द्रीय बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजने के लिए एक समिति नियुक्त की। बोर्ड, समिति द्वारा विचार विमर्श पूरा हो जाने के पश्चात् समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा। इस अवस्था मे सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

1. जब तक आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की व्यवस्था नही होती तब तक कर्मचारियो के वेतन क्रमो मे, 'ए' श्रेणी के बैंको अथवा रिजर्व बैंक के कर्मचारियो को उपलब्ध वेतन-क्रमो के अनुरूप बनाने के लिए, संशोधन।

2. आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य-प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को उनके वेतन का 20 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और तमिल नाडू के कर्मचारियों को उनके वेतन का 25 प्रतिशत की दर से और महाराष्ट्र प्रदेश के कर्मचारियों को उनके वेतन का 30 प्रतिशत की दर से मकान सम्बन्धी किराया भत्ते की अदायगी (वेतन का अर्थ है मूल वेतन और महंगाई वेतन)।

3. जब तक पर्याप्त संख्या में पदों का निर्माण नही होता, जैसा कि संघ ने मांग की है, प्रारम्भ मे विभिन्न संवर्गो में वर्तमान माप-दण्ड के अनुसार कर्मचारियों की मंजूरी।

4. कार्य-भार में कमी (यानी लेखा खातों मे, प्रति लेखा परीक्षक के लिए 1,000 लेखे और प्रवर्तन विभाग मे प्रति क्लर्क 25 छूट-प्राप्त/अछूट-प्राप्त प्रतिष्ठान); केन्द्रीय कार्यालय के लिए माप-दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए)।

5. निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्लर्कों के सवर्गों को मिलाकर एक सामान्य लिपिक सवर्ग बनाना।

6. सात वर्ष का सेवा-काल पूर्ण करने पर ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के लिए 25 प्रतिशत लिपिको की खाली जगहों का आरक्षण जो अर्हता-प्राप्त नही है, तथा रिकार्ड सार्टरो, रिकार्ड कीपरो, जेस्टेटनर आपरेटरो तथा दफ्तरी इत्यादि के लिए अतिरिक्त नये पदो का निर्माण करना ताकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़े।

7. अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ तथा उसकी सम्बद्ध इकाइयो, जिनकी सूची पहले ही भेजी जा चुकी है, को मान्यता देना।

8. विभिन्न सवर्गों मे की गई सभी तदर्थ नियुक्तियो को तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के सेवा काल को दृष्टि से न रखकर नियमित करना।

9. सेवा समाप्ति, निलम्बन, वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना, वेतन कटौती इत्यादि दमनकारी सभी कार्यवाहियों को बन्द करना।